न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 25 /2019 (Bank Case)

हाउसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कॉरपोरेशन लि0 (एच.डी.एफ.सी.) जिसका पंजीकृत कार्यालय रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग, 169, बैकबे रिक्लेमेयशन चर्चगेट, मुम्बई 400020, जिसका शाखा कार्यालय, एच डी एफ सी लिमिटेड सी–25 भगवन्तदास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम जयपुर में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. श्री ज्योति प्रकाश सेन (ऋणी व बंधककर्ता)
   पता– फ्लेट नं0 404, दीपश्री ग्रीन, प्लॉट नं0 5, अपना घर योजना, जे. के. डी.सी.एम. रोड के सामने, कोटा, राजस्थान–324005

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17.07..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है हाउसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कॉरपोरेशन लि0 (एच.डी.एफ.सी.) जिसका पंजीकृत कार्यालय रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग, 169, बैकबे रिक्लेमेयशन चर्चगेट, मुम्बई 400020, जिसका शाखा कार्यालय, एच डी एफ सी लिमिटेड सी–25 भगवन्तदास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम जयपुर में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थी ने दिनांक 02.01.2013 को रूपये 20,00,000/– (अक्षरे: रूपये बीस लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **बंधक अचल सम्पत्ति श्री ज्योति प्रकाश सेन पुत्र श्री सीताराम सेन की सम्पत्ति जो कि फ्लेट नं0 404, चतुर्थ तल, दीपश्री ग्रीन, प्लॉट नं0 05, अपना घर योजना, जे.के. डी.सी.एम रोड के सामने कोटा, राजस्थान पर स्थित है । जिसमें भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसका बिल्ट अप क्षैत्रफल 996 वर्गफुट एवं सुपर बिल्ट अप क्षैत्रफल 1345 वर्गफुट** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 30.11.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 17,09,289/– रू0 (अक्षरे: रूपये सत्रह लाख, नौ हजार, दौ सौ नैंवांसी रूपये मात्र) दिनांक 31.08.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 28.09.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी** ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही सम्भलाया है । प्रार्थी

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुनां गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं करने **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 28.09.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी** ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किय **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 28.09.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी** मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **अचल सम्पत्ति श्री ज्योति प्रकाश सेन पुत्र श्री सीताराम सेन की सम्पत्ति जो कि फ्लेट नं0 404, चतुर्थ तल, दीपश्री ग्रीन, प्लॉट नं0 05, अपना घर योजना, जे.के. डी.सी.एम रोड के सामने कोटा, राजस्थान पर स्थित है । जिसमें भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसका बिल्ट अप क्षैत्रफल 996 वर्गफुट एवं सुपर बिल्ट अप क्षैत्रफल 1345 वर्गफुट** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner